न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 32/2023

श्री कैलाश मीणा पुत्र लक्ष्मण मीणा निवासी अहमदपुरा नयागांव तहसील व जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 30.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

ग्राम पालडा पंचायत अहमदपुरा नयागांव लहन अहमदगंज तहसील टोंक के गांवो मे ईट भट्टा कारोबारियो द्वारा उक्त ग्राम मे अपने ईट भट्टो के लिये उक्त ग्रामो मे से किन—किन खसरा नम्बरान की भूमियो मे से अवैध खनन कार्य करके मिट्टी उठायी उनकी मिट्टयो के ढेर स्टोको प्रत्येक ग्राम की जानकारी व प्रत्येक गांव के अवैध मिट्टी के खनन के गांवो व उनके खसरा नम्बरान रकबा आदि का पूर्ण ब्योरा मय प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि मे उलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र कमांक 852 दिनांक 14.09.2023, 885 दिनांक 03.10.2023, 977 दिनांक 17.10.2023 व 998 दिनांक 25.10.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक